

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 52/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/2015

दिनांक : 10 नवंबर, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय:- निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन - तत्संबंधी।


महोदय,

मुझे, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा यथाअधिसूचित निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2016 की एक प्रतिलिपि को एतद्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

कृपया इसे सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,



(एन.टी.भुटिया)

अवर सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2528]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 21, 2016/आश्विन 29, 1938

No. 2528]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2016/ASVINA 29, 1938

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3263(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 60 के अधिनियम पठित धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग के परामर्श से निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनानी है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 23 में,—

(क) उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह और कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा डाक मतपत्र का ऐसे इलेक्ट्रॉनिकी साधनों से, जो निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 18 के खंड (क) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, पारंपरण किया जा सकेगा ;

(ख) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) जहां किसी डाक मतपत्र का पारेषण इलेक्ट्रानिकी रूप से किया जाता है तो इस नियम और नियम 22, नियम 24 और नियम 27 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”

[फा. सं. एच.-11019/1/2015-वि.2]

डॉ. जी. नागायण राजू, सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 859 तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन का.आ. सं. 2969(अ) तारीख 16 सितंबर, 2016 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2016

S.O. 3263(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 read with section 60 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government after consulting the Election Commission hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 23,—

(a) in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the postal ballot paper may be transmitted by the Returning Officer by such electronic means as may be specified by the Election Commission for the persons specified in sub-clause (ii) of clause (a) of rule 18;

(b) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1A) Where a postal ballot paper is transmitted electronically, the provisions of this rule and rules 22, 24 and 27 shall, *mutatis mutandis*, apply.”

[F. No. H-11019/1/2015-Lcg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 859, dated the 15th April, 1961 and last amended *vide* number S.O. 2969(E), dated the 16th September, 2016.